<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>
<u>पर्यटन अनुभाग</u>
संख्या-252/2023 /926/41-2023-89(बजट)/2023
लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2023

<u>संख्या-244/2023/926/001-41-2023-89-Budget-2023, दिनांक 24 मार्च, 2023</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 10000/ईको टूरिज्म(22)/2022 दिनांक 25 मार्च, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद सोनभद्र के हाथीनाला बायोडाईबर्सिटी हॉट स्पाट का ईको टूरिज्म के अन्तर्गत विकास कार्य की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-244/2023/926/001-41-2023-89-Budget-2023, दिनांक 24 मार्च, 2023 के पृष्ठांकन के बिन्दु सं0-04 में वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4- वरिष्ट कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
5- **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।**
6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in